न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 31/16 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2016/00053

उनवानी :–

1– रामचरन पुत्र गिर्राज (मृतक)

1/1– मोतीराम पुत्र स्व. रामचरन
1/2– पन्ना पुत्र स्व. रामचरन
1/3– निरोती पुत्र स्व. रामचरन
1/4– शीला पुत्री स्व. रामचरन
1/5– पुष्पा पुत्री स्व. रामचरन
1/6– ललिता पुत्री स्व. रामचरन
2– पन्नु पुत्र रघुवीर नवीश गिर्राज
3– राजेन्द्र कुमार पुत्र रघुवीर नवीश गिर्राज
4– इन्द्रा पत्नि भगवानसहाय पुत्री रघुवीर
5– अशोक पुत्र भगवानसहाय
6– बलवीर पुत्र भगवानसहाय
7– कैलाश पुत्र भगवानसहाय
8– कुमारी जयना पुत्री भगवानसहाय नाबालिग जरिये संरक्षक माता इन्द्रा

जाति ब्राह्मण निवासी जटेरी तह. डीग जिला भरतपुर

––––––––––अपीलांट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर , भरतपुर

2– तहसीलदार डीग
3– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), भरतपुर
4– राजकीय प्राथमिक विद्यालय जटेरी तह. डीग जरिये प्राधानाध्यापक

––––––––––रेस्पो

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय एस.डीओ डीग दिनांक 23.06.16 मु0न0 12/12 उनवानी रामचरन बनाम सरकार

उपस्थितिः–
1– वकील अपीलांट श्री ओमप्रकाश एड.

2– वकील रेस्पोडेन्ट राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 12.04.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 322/0.45 है0 वाके ग्राम जटेरी तहसील डीग जिला भरतपुर में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है । विवादित आराजी बाबत् अधि0 न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी द्वारा पेश की गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो को तलब किया गया। अधि. न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी के गत खसरा नं. 204 मिन से वर्तमान खसरा नं0 322/0.61 बनना दर्शाया गया है। जिसका क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है। साविक खसरा नं0 204 का रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता था। जिसका क्षेत्रफल बढाकर 0.61 ऐयर कर दिया गया है। इस बढे हुये रकबे में से विद्यालय भवन हेतु आंवटित कर दिया गया है। अपीलार्थी का विवादित आराजी में से 0.10 ऐयर पर अपीलार्थी का कब्जा है। साविक खसरा नं0 204 मिन से सटा हुआ खसरा नं0 202 था। जिसका रकबा वर्तमान में कर कर दिया गया है। अपीलार्थी साविक खसरा नं0 202 के खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे थे। अतः अपील सवीकार की जाकर अपीलार्थी को हाल खसरा नं0 322/1 में से 0.10 ऐयर का खातेदार घोषित किया जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय एवं ग्राम पंचायत के नाम आवंटित है। और ग्राम को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलार्थी ने अपना पक्ष ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही अपील के स्तर पर सिद्ध किया है। अतः न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप का काई आधार प्रकट नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज की जाती हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 12.04.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर